राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 20/2013/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,कोटा — प्रार्थी

बनाम

एम.आर.एफ.लिमिटेड
कोटा — अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — राजस्व की ओर से

श्री आर.सी.शार्ह
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांकः 4.12.2014

निर्णय

यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी व्यवसायी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 576/2011/कोटा, जो राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई थी,में एकपक्षीय बहस सुनकर पारित निर्णय दिनांक 11.03.2013 किया गा था,को रेस्टोर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी व्यवहारी (मूल अपील में अप्रार्थी) की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील संख्या अपील संख्या 576/2011/कोटा, जो राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई थी, का निर्णय व्यवहारी को सुने बिना पारित किया गया है,जिससे व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि कर बोर्ड की ओर से अप्रार्थी व्यवहारी को मैसर्स एम.आर.एफ.लिमिटेड, मोतीलाल अटल रोड,कोटा के पते पर नोटिस भेजा गया है, जबकि उसका पता मैसर्स एम.आर.एफ.लिमिटेड, मोतीलाल अटल रोड,जयपुर है। उनका कथन है कि कोटा शाखा का पता एफ.202ए,इन्द्रप्रस्थ आद्योगिक एरिया,कोटा है। उनका कथन है कि यह तथ्य उसे दिनांक 18.08.2013 को ध्यान में आया है । उन्होंने उक्त तथ्यों के आधार रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित पते पर ही नोटिस भेज गये हैं। उनका कथन है कि यदि अप्रार्थी व्यवहारी की बात स्वीकार कर ली जाये तो भी राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अप्रार्थी व्यवहारी को एम आर एफ लिमिटेड, एफ.202ए,इन्द्रप्रस्थ आद्योगिक एरिया,कोटा के पते पर तारीख पेशी 6.11.2012 के लिए दिनांक 28.06.2012 को नोटिस जारी किया गया,जिसको विभाग के

माध्यम से एम आर एफ लिमिटेड को दिनांक 27.7.2012 को तामील कराया गया है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर अथवा नोटिस सही पते पर तामील नहीं कराया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी व्यवहारी के द्वारा बहस के दौरान बताया गया पता यथा आर एफ लिमिटेड, एफ.202ए,इन्द्रप्रस्थ आद्योगिक एरिया,कोटा को जरिए विभाग तारीख पेशी दिनांक 6.11.2012 के लिए दिनांक 27.07.2012 को नोटिस तामील कराया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि 27.6.012 की पेशी के लिए भी विभाग के माध्यम से अप्रार्थी व्यवहारी को नोटिस तमील कराया गया है, इसलिए अप्रार्थी व्यवहारी का यह कथन किया कि उसे कभी नोटिस तामील नहीं करवाया गया, उपलब्ध रेकार्ड से सही नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं रेकार्ड के अनुसार अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य